भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2335

सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

सीधी और सिंगरौली ज़िलों में श्रमिकों का कल्याण

2335. डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिलों में ई-श्रम पोर्टल पर वर्तमान में पंजीकृत असंगठित क्षेत्र और भवन निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त श्रमिकों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान पढ़ाई के लिए श्रम स्कूल भेजे गए उक्त श्रमिकों के बच्चों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त श्रमिकों के उपचार के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) अस्पताल की सुविधा प्रदान की जाती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के आधार से जुड़े एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) के निर्माण के लिए दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) की शुरुआत की थी। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके असंगठित कामगारों का पंजीकरण करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है।

देश भर में ईश्रम पोर्टल पर 31.82 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का पंजीकरण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश राज्य में असंगठित कामगारों की संख्या 1.95 करोड़ से अधिक है।

सीधी और सिंगरौली जिलों में पंजीकृत असंगठित कामगारों और भवन सन्निर्माण कामगारों की संख्या इस प्रकार है:

जारी...2/-

जिले	असंगठित कामगारों की कुल संख्या	भवन सन्निर्माण कामगारों की कुल संख्या
सीधी	4,29,449	20,255
सिंगरौली	3,89,919	18,327

डेटा स्रोत: ई-श्रम डैशबोर्ड

बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के विज़न के अनुरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम–"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। जो सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकरण करता है और ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को देखने में उन्हें सक्षम बनाता है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह (15) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, ताकि असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाया जा सके, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी - जी आरएएम जी), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई - जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ई-श्रम, नौकरी के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयुए) के कन्वर्जेंस पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे ई-श्रम कार्डधारक अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो रहे हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल केवल कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन कवर किए गए बीमित व्यक्तियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए उपलब्ध है।
